संख्या: 9-दो(1)/XXXVI(1)/2006

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 5 जुलाई, 2006

विषय: जिला न्यायालय परिसर, ऊधमसिंहनगर की रिक्त भूमि में बाग लगाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1116/UHC/Admn.B/2006, दिनांक 2 मई, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष परिस्थिति में जिला न्यायालय परिसर, ऊधमसिंहनगर की रिक्त भूमि में बाग लगाये जाने हेतु उद्यान विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रु0 3,26,120/- के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 3,26,120/- (रुपये तीन लाख छब्बीस हजार एक सौ बीस मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण उद्यान विभाग द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार सम्बन्धित अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) उद्यान के रख-रखाव हेतु अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं किया जायेगा और न ही इस हेतु अलग से कोई धनराशि स्वीकृत की जायेगी ।

(5) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(6) उद्यान में लगाये जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(7) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टो० पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित इकाई पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00 आयोजनेत्तर 105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00 25 लघु निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-392/XXVI(5)/2006, दिनांक 5.7.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव ।

संख्या-9-दो(1)/XXXVI(1)/2006-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
4. जिला उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
5. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
6. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।